न्यायालय तहसीलदार लवाण जिला दौसा (राज.)

सरकार बनाम अरुण कुमार पुत्र दामोदर सिंह नि.गाजियाबाद,उत्तर प्रदेश

मिसल न. 29/2023 निर्णय दिनांक-13.02.2024

आज पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ढिगारिया ने रिपोर्ट राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत इस आशय की न्यायालय मे प्रस्तुत कि की अरुण कुमार पुत्र दामोदर सिंह नि. सी-192,सेक्टर-11,विजय नगर,गाजियाबाद,उत्तर प्रदेश-201009 ने ग्राम करणपुरा के आराजी खसरा नंबर 499 किस्म चराहगाह कुल रकबा 9.21 है० मे से र कबा 0.03 है० भूमि पर संवत 2080 फसल वर्ष खरीब मे चार दीवारी एवं पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया है । प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया । अतिक्रमी बाद रजिस्टर्ड तामील अनुपस्थित रहा जिससे अतिक्रमी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है तथा अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण नहीं होने के संबंध मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये । जिससे राजकीय भूमि पर अतिचार करना सिद्ध होता है ।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन एवं मनन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचा की अतिक्रमी का प्रश्नगत राजकीय भूमि पर कोई टाइटल अथवा अधिकार सिद्ध नहीं होता है, तथा वह एक अतिचारी की हैसियत रखता है । अतः उसे उक्त राजकीय भूमि पर से भौतिक रूप से बेदखल किया जाना अत्यंत आवश्यक है ।

अतः अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की उपधारा (1)(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अतिक्रमण शुदा रकबे पर की गई चार दीवारी एवं पक्के निर्माण से भौतिक रूप से बेदखल किया जाने व उस पर लगान 0.27 रु. का 50 गुना 14 रु. की शास्ति आरोपित की जाती है।

पत्रावली मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा को भिजवाई जावे एवं शास्ति वसूली एवं बेदखली हेतु भू.अ.निरीक्षक लवाण एवं पटवारी हल्का पटवार मण्डल ढिगारिया को लिखा जावे। निर्णय खुले न्यायालय मे आज दिनांक 13.02.2024 को सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील लेख भण्डार हो ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dharm Singh Meena
Date: 2024.03.05 13:19:17 IST
Reason: SelfAttested

(धर्म सिंह मीना)
तहसीलदार
लवाण (जिला दौसा)
तहसीलदार
लवाण जिला दौसा(राज.)